भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 585**

दिनांक 7 फरवरी, 2019 को उत्‍तर के लिए

**शिशु देखभाल संस्थानों में शारीरिक दंड और यौन दुरुपयोग**

**585. श्री संजय सिंहः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 2018 में प्रस्तुत की गई राष्ट्रव्यापी समीक्षा के अनुसार, अधिकांश आश्रय गृहों में बच्चों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शारीरिक दण्ड का सहारा लिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में अधिकतर शिशु देखभाल संस्थानों में यौन दुरुपयोग के मामलों में बढ़ोतरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) देश में आश्रय गृहों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उन पर खर्च की गई धनराशि का आश्रय गृह-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (ख) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह पता लगाने के लिए कि राज्‍य सरकारों / संघ राज्‍य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख एंव संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजेएक्‍ट) के तहत चलाए जा रहे बाल देखरेख संस्‍थान (सीसीआई) क्‍या जेजेएक्‍ट और उसके तहत बनाए गए मॉडल नियमों द्वारा अधिदिष्‍ट मानकों के अनुरूप हैं और जहां आवश्‍यक हों, वहां सुधारात्‍मक उपाय किए जाने की दृष्टि से वर्ष 2016 में सभी बाल देखरेख संस्‍थानों (सीसीआई) की राष्‍ट्रव्‍यापी समीक्षा की । इसके विश्लेषण से पता चला है कि कई सीसीआई बच्चों को अनुशासित करने के लिए उन रूपों का उपयोग करते हैं जोकि जेजे अधिनियम द्वारा परिभाषित शारीरिक दंड के दायरे में आते हैं। यौन शोषण की कुछ घटनाएं इस मंत्रालय के संज्ञान में आई हैं ।

(ग) तथा (घ) : मंत्रालय ने किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015के अन्‍तर्गत् यथा-निर्धारित अनिवार्य रूप से निगरानी करने की आवश्‍यकता पर बल दिया । यह अधिनियम बाल कल्‍याण समितियों, किशोर न्‍याय बोर्ड़ों और राज्‍य सरकारों द्वारा नियमित रूप से निगरानी करने को अनिवार्य करता है । राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य सचिवों से भी अनुरोध किया गया है कि वे बाल देखरेख संस्‍थानों द्वारा प्रदत्‍त सभी सुविधाओं का निरीक्षण करें और मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत करें । राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों को कहा गया था कि वे यह निरीक्षण जिला मजिस्‍ट्रेट / जिला कलेक्‍टर के पर्यवेक्षण में करें । मंत्रालय ने सभी राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों को किसी भी बाल देखरेख संस्‍थान में बच्‍चों के जीवन में व्‍यवधान डालने वाली दुर्व्‍यवहार की किसी भी अप्रिय घटना के मामले में कार्रवाई करने के बारे में एक परामर्शी भी जारी की है ।

मंत्रालय बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्‍कीम, जो एक केंद्र द्वारा प्रायोजित स्‍कीम है, को क्रियान्वित कर रहा है। कथित स्‍कीम के अंतर्गत राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍य क्षेत्र के प्रसाशनों को उनके प्रस्‍ताव के मूल्‍यांकन के बादनिधि निर्मुक्‍त की जाती है। बाल संरक्षण सेवा स्‍कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जा रहे बाल देखरेख संस्‍थानों का ब्‍यौरा तथा विगत वित्‍तीय वर्ष के दौरान निर्मुक्‍त निधि और राज्‍य सरकारों द्वारा उपयोगित निधि का राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा क्रमश: **अनुलग्‍नक -।** तथा **।।** में वर्णित है। राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा देखरेख गृहों को निर्मुक्‍त निधि का ब्‍यौरा मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है ।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक-।**

**शिशु देखभाल संस्थानों में शारीरिक दंड और यौन दुरुपयोग विषय पर श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2019 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 585 के उत्‍तर के भाग (ग) और (घ) में संदर्भित विवरण**

**बाल संरक्षण सेवा स्‍कीम (सीपीएस) के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जा रहे बाल देखरेख संस्‍थानों का वर्ष 2017-18 के लिए राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रं.सं.** | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र** | **गृह** | | **विशेष दत्‍तकग्रहण ऐजेन्‍सी** | | **खुले आश्रय गृह** | |
|  |  | **सरकारी** | **गैर-सरकारी** | **सरकारी** | **गैर-सरकारी** | **सरकारी** | **गैर-सरकारी** |
|  | आंध्र प्रदेश | 66 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 |
|  | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | असम | 10 | 27 | 0 | 21 | 0 | 5 |
|  | बिहार | 16 | 22 | 0 | 20 | 0 | 7 |
|  | छत्‍तीसगढ़ | 22 | 32 | 0 | 9 | 0 | 9 |
|  | गोवा | 1 | 22 | 0 | 2 |  | 3 |
|  | गुजरात | 27 | 18 | 8 | 4 | 0 | 3 |
|  | हरियाणा | 7 | 21 | 1 | 5 | 0 | 21 |
|  | हिमाचल प्रदेश | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|  | जम्‍मू और काश्‍मीर | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | झारखंड | 13 | 23 | 0 | 15 | 0 | 5 |
|  | कर्नाटक | 72 | 8 | 6 | 19 | 0 | 40 |
|  | केरल | 29 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 |
|  | मध्‍य प्रदेश | 27 | 40 | 0 | 26 | 0 | 8 |
|  | महाराष्‍ट्र | 34 | 43 | 0 | 16 | 0 | 3 |
|  | मणिपुर | 2 | 40 | 3 | 4 | 0 | 14 |
|  | मेघालय | 24 | 20 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|  | मिजोरम | 19 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|  | नागालैंड | 13 | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 |
|  | ओडिशा | 10 | 86 | 3 | 20 | 0 | 12 |
|  | पंजाब | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | राजस्‍थान | 40 | 51 | 12 | 0 | 0 | 21 |
|  | सिक्किम | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|  | तमिलनाडु | 44 | 145 | 0 | 20 | 0 | 12 |
|  | त्रिपुरा | 11 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|  | उत्तर प्रदेश | 69 | 24 | 5 | 7 | 0 | 20 |
|  | उत्तराखंड | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | पश्चिम बंगाल | 20 | 45 | 0 | 22 | 0 | 33 |
|  | तेलंगाना | 36 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  | अंडमान और निकोबार | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | चंडीगढ़ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | दादर और नागर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | लक्षद्वीप |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | दिल्ली | 20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 |
|  | पुद्दुचेरी | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|  | योग | **701** | **809** | **72** | **252** | **0** | **266** |

**अनुलग्‍नक-।।**

**शिशु देखभाल संस्थानों में शारीरिक दंड और यौन दुरुपयोग विषय पर श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2019 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 585 के उत्‍तर के भाग (ग) और (घ) में संदर्भित विवरण**

**पिछले वित्‍तीय वर्ष के दौरान राज्‍य सरकारों द्वारा बाल संरक्षण सेवा स्‍कीम (सीपीएस) के अंतर्गत निर्मुक्‍त निधि तथा उपयोगित निधि का राज्‍य/संघ राज्‍य-वार ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **राज्‍य का नाम** | **2017-18** | |
| **निर्मुक्‍त राशि** | **उपयोगित राशि** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1469.88 | 1537.11 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 643.71 | 180.00 |
| 3 | असम | 2932.68 | 1608.78 |
| 4 | बिहार | 541.56 | 1633.69 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 3181.97 | 1701.20 |
| 6 | गोवा | 728.53 | 54.44 |
| 7 | गुजरात | 590.11 | 1767.24 |
| 8 | हरियाणा | 1858.22 | 2500.00 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1835.01 | 1833.11 |
| 10 | जम्मू और काश्मीर | 807.48 | 807.48 |
| 11 | झारखंड | 1714.57 | 1641.76 |
| 12 | कर्नाटक | 3272.45 | 1364.04 |
| 13 | केरल | 1849.45 | 1275.72 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 3262.77 | 2582.87 |
| 15 | महाराष्ट्र | 608.15 | 608.15 |
| 16 | मणिपुर | 1886.33 | 2103.00 |
| 17 | मेघालय | 1846.60 | 1846.60 |
| 18 | मिजोरम | 1917.51 | 1917.51 |
| 19 | नागालैंड | 1457.45 | 1457.45 |
| 20 | ओडिशा | 2599.30 | 2782.53 |
| 21 | पंजाब | 143.24 | 875.43 |
| 22 | राजस्थान | 4752.30 | 1295.98 |
| 23 | सिक्किम | 662.76 | 125.43 |
| 24 | तमिलनाडु | 2013.12 | 5512.50 |
| 25 | तेलंगाना | 894.82 | 633.08 |
| 26 | त्रिपुरा | 446.81 | 499.00 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 1830.67 | 4222.98 |
| 28 | उत्तराखंड | 907.57 | 731.40 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 5073.56 | 4232.67 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 31.66 | 93.36 |
| 31 | चंडीगढ़ | 194.32 | 172.73 |
| 32 | दादर और नागर हवेली | 24.82 | 69.90 |
| 33 | दमन और दीव | 21.89 | 83.00 |
| 34 | दिल्ली | 354.33 | 907.88 |
| 35 | लक्षद्वीप | - | - |
| 36 | पुद्दुचेरी | 114.35 | 426.20 |
|  | **योग** | **52469.95** | **51084.22** |